

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

28 / 2026

श्री जाकिर हुसैनपुत्र अब्दुल हफीज निवासी हाजी कॉलानी बम्बोर रोड गली नं. 2
अन्नपूर्णा टोंक तहसील व जिला टोंक

—अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 09.04.2026

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

माह नवम्बर 2019 से माह नवम्बर 2024 की अवधि में नगर परिषद टोंक में आयोजित बोर्ड मीटिंग में उपस्थित हुए पार्षदों की सूचना मय उपस्थिति पंजिका के उपलब्ध कराए प्रत्येक बोर्ड मीटिंग अनुसार नोट— सूचना उपलब्ध कराने से पहले अवलोकन कराए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 420 दिनांक 09.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 114 दिनांक 17.03.2026 से जवाब प्रति प्रेषित किया है कि अपीलान्त द्वारा चाही गई सूचना का संबंध आयुक्त नगर परिषद, टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 77 दिनांक 28.01.2026 से अन्तरित करते हुए पत्र क्रमांक 78 दिनांक 28.01.2026 से अपीलान्त को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्त आयुक्त नगर परिषद, टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(टीना डाबी)

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
एवं जिला कलेक्टर टोंक